मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: 1478307/2026/बजट-1/चार/847 **भोपाल, दिनांक:** 21/08/2026

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
   मध्य प्रदेश शासन, समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   मध्य प्रदेश।

विषय: केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CS/CSS) के अंतर्गत अग्रिम व्यय पर रोक तथा प्रतिपूर्ति राशि के दावों को तत्काल प्रस्तुत कर शत-प्रतिशत केंद्रांश प्राप्त करने बाबत।

संदर्भ: 1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट आबंटन एवं व्यय निर्देश दिनांक 29 मार्च 2026
2. वित्त विभाग का उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में परिपत्र क्र/5/2/आर 1211294/ 2025/ ब-1/चार भोपाल, दिनांक 13 मई, 2026

--0--

बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने तथा राज्य के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि का समयबद्ध आहरण एवं संवितरण सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कतिपय केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के परीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि शासन के विभागों द्वारा केंद्रांश की प्रत्याशा में राज्य बजट से केंद्रीय अंश का अग्रिम व्यय कर दिया गया है, तथा जो योजनाएं केंद्रीय प्रतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित हैं, उनके अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की राशि की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। अतः उक्त विषयवस्तु के संबंध में निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

1. **केन्द्रांश राशि का अग्रिम आहरण :** भविष्य में केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्रांश की राशि की प्रत्याशा में राज्य बजट से अग्रिम व्यय ('प्रतिपूर्ति श्रेणी' की योजनाओं को छोड़कर) नहीं किया जाए, जब केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश की राशि प्राप्त हो तभी योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि का आहरण सुनिश्चित किया जाये।

2. **केन्द्रांश राशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव :** जिन प्रतिपूर्ति श्रेणी की केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में योजनाओं में व्यय अपरिहार्य हो, उनमें व्यय होते ही भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को प्रतिपूर्ति हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रेषित किए जाएं।

3 **उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्रेषण:** यदि पूर्व में जारी की गई केंद्रीय क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना लंबित है, तो भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय की योजना संबंधी गाईडलाइन एवं वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 13 मई 2026 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार (UC) **PFMS पोर्टल** पर अथवा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को तत्काल प्रेषित किए जाएं।

4 **लंबित केन्द्रांश राशि की प्रतिपूर्ति की ट्रैकिंग तथा सतत समन्वय:** सभी बजट नियंत्रण अधिकारी अपने विभाग से संबंधित ऐसी समस्त योजनाओं की सूची तैयार करें जिनमें केन्द्रांश राशि अपेक्षित है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और नोडल अधिकारियों से निरंतर समन्वय स्थापित कर संबंधित योजना की लंबित केन्द्रांश की राशि राज्य के पक्ष में यथाशीघ्र प्राप्त की जाए।

5 **केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से वेतन आहरण की व्यवस्था:** केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से वेतन आहरण की सकल राशि के SNA खाते से रिफंड राशि की प्राप्ति हेतु बजट शीर्ष के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 422/आर-915/2020/ब-1/चार, दिनांक 21/03/2023 एवं 379/आर-915/2020/ब-1/चार, दिनांक 11/03/2024 का अक्षरशः परिपालन किया जाए।

6 **सी.एन. ए. व्यवस्था से प्राप्त राशि का अंतरण:** जहां केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत सी.एन.ए. (CNA) व्यवस्था से विभागों के बैंक खातों में राशि सीधे प्राप्त हो रही है, वहां उतनी ही राशि राज्य बजट की संबंधित बजट लाइनों से प्राप्ति मुख्य शीर्ष 1601 में कोषालय में देयक प्रस्तुत करके तत्काल अंतरित की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें । केंद्रीय राशि की प्राप्ति में विलंब के कारण राज्य के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिसके लिए संबंधित विभाग और बजट नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

Digitally signed by
Manish Rastogi
Date: 21-08-2026
13:56:26

(मनीष रस्तोगी)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक: 1478307/2026/बजट-1/चार, **भोपाल दिनांक:** 21/08/2026
848

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र., ग्वालियर।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/सचिव/संचालक बजट, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय,
3. वित्तीय सलाहकार (समस्त)/ वित्त अधिकारी , मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त अपर/उप/अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर वित्त विभाग की एकल नस्ती 841/बी-7/ दिनांक 27-07-2026 के संदर्भ में समन्वय हेतु।
5. आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. तथ्यांक प्रशासक, वित्त विभाग (IFMIS विंग) की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Ashish Nandanwar
Date: 21-08-2026
17:00:18

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग